<u>हरियाणा विद्यालय षिक्षा बोर्ड, भिवानी</u>

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

<u>मिडल/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी द्वितीय सैमेस्टर परीक्षा मार्च–2010</u>

मिडल/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी **द्वितीय** सैमेस्टर परीक्षा मार्च–2010 बारे सभी विद्यालयों के मुखियाओं को सूचित किया जाता है कि मिडल/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी द्वितीय सैमेस्टर परीक्षाएं दिनांक 08.03.2010 से प्रारम्भ हो रही हैं । इन परीक्षाओं से सम्बन्धित सभी नियमित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक व सतत् व्यापक मूल्यांकन (सी0सी0ई0),प्रायोगिक विशय की अंक सूचियां/ऐच्छिक विशय/जनरल अवेयरनैस और लाईफ स्किल्स की ग्रेडिंग एवं स्पोर्टस एण्ड कल्चरल एक्टिविटीज प्रोफार्मा के लिफाफे उनके जिले से सम्बन्धित जिला षिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में/जिला षिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित संस्थानों में दिनांक 17.02.2010 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक व दिनांक 18.02.2010 को प्रातः 9.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक बोर्ड कर्मचारियों द्वारा वितरित किये जाएंगे ।

उक्त परीक्षाओं से सम्बन्धित सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (सी0सी0ई0)/प्रायोगिक विशय/ऐच्छिक विशय/जनरल अवेयरनैस और लाईफ स्किल्स के अंक/ग्रेडिंग सूचियों में भरने उपरान्त दिनांक 02.03.2010 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक एवं दिनांक 03.03.2010 को प्रातः 9.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक बोर्ड के कर्मचारी को जिला षिक्षा अधिकारी के कार्यालय या उन द्वारा निर्धारित संस्थनों पर वापिस जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर लें । यदि वांछित दस्तावेज उक्त निर्धारित तिथियों में जमा नहीं करवाए जाते हैं तो इन तिथियों के बाद <u>5,000/– रूपये जुर्माना सहित बोर्ड मुख्यालय, भिवानी में जमा करवाने होंगे</u> ।

अतः सभी सम्बन्धित विद्यालयों के मुखियाओं को निर्देष दिये जाते हैं कि उपरोक्त तिथियों में अपने जिले के जिला षिक्षा अधिकारी के कार्यालय या उन द्वारा निर्घारित संस्थानों से अपने विद्यालय के अनुक्रमांक व सतत् व्यापक मूल्यांकन(सी0सी0ई0)/प्रायोगिक विशय की अंक सूचियां/ऐच्छिक विशय /जनरल अवेयरनैस और लाईफ स्किल्स की ग्रेडिंग एवं स्पोर्टस प्रोफार्मा के लिफाफे प्राप्त कर लें तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (सी0सी0ई0)/प्रायोगिक विशय की अंक सूचियां/ऐच्छिक विशय की ग्रेडिंग/जनरल अवेयरनैस और लाईफ स्किल्स एवं स्पोर्टस् एण्ड कल्चरल एक्टिविटीज प्रोफार्मा आदि के लिफाफे निर्धारित तिथि को बोर्ड कर्मचारी के पास जमा करवाएं अन्यथा संस्था का मुखिया किसी भी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा।

सचिव